

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पं0 4(1)चिस्वा/2/2015-I

जयपुर, दिनांक 13.06.2019

—:आदेश:—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में किये गये संशोधन अनुसार नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में निम्न कनिष्ठ विशेषज्ञ (दंत) को 6 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ विशेषज्ञ (दंत) के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

S.No.	Name of Doctor	Category	Date of Birth	M.O. RPSC Selection Year	Promotion date
1	YOGRAJ INDORIA	GEN	23-08-66	RPSC-2000	01.04.18
2	NIDHI GUPTA	GEN	08-11-73	RPSC-2000	01.04.18
3	RENU GUPTA	GEN	15-01-74	RPSC-2000	01.04.18
4	PREM PRAKASH SINGH	GEN	03-06-74	RPSC-2000	01.04.18
5	BALWANT SINGH	SC	24-03-72	RPSC-2000	01.04.18
6	MAHENDRA KUMAR MEENA	ST	26-06-73	RPSC-2000	01.04.18
7	MAHESH CHAND MEENA	ST	15-07-76	RPSC-2004	01.04.18

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी यथास्थान पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(ओ. पी. वर्मा)

सहायक शासन सचिव